

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 978
02.12.2024 को उत्तर के लिए

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की मृत्यु

978. श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर :

श्री दुष्यंत सिंह :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने रणथम्भौर बाघ अभ्यारण्य में बाघों के लापता होने/उनकी मृत्यु का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस मामले की जांच के लिए कोई जांच का आदेश दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,
- (ग) सरकार द्वारा बाघों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा उक्त राष्ट्रीय उद्यान में मृत या लापता हुए बाघों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है, साथ ही स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) बाघों की इस अभूतपूर्व संख्या में मृत्यु होने और उनकी संख्या में आई कमी के लिए जिम्मेदार कारकों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की भारी संख्या और उनके बीच क्षेत्रीय संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार ने पार्क अधिकारियों द्वारा संभावित चूक को दूर करने के लिए जांच समिति गठित की है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा बाघों की और अधिक मौतों को रोकने के लिए निगरानी प्रोटोकॉल, फील्ड ऑपरेशन या संरक्षण रणनीतियों के संदर्भ में क्या परिवर्तन सुझाए गए हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) और (ख): राजस्थान राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, राजस्थान के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा एक समिति गठित की गई थी। सरकार को रणथम्भौर के लापता बाघों की जांच के लिए समिति गठित करने के राज्य के आदेश की जानकारी है।

(ग): भारत सरकार ने देश में बाघ संरक्षण के लिए कई पहलें की हैं, जो **अनुबंध-1** में दी गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा किए गए अखिल भारतीय बाघ आकलन, 2022 के 5वें चक्र के अनुसार, रणथम्भौर बाघ रिजर्व में बाघों की अनुमानित संख्या आकलन 57 ± 0.13 है। चालू वर्ष के दौरान उक्त बाघ रिजर्व में चार

(04) बाघों की मृत्यु की सूचना मिली है। राज्य से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त लापता बाघों में से ग्यारह (11) बाघों का राज्य द्वारा पहले ही पता लगा लिया गया है।

(घ): रणथंभौर बाघ रिजर्व जैसे पारिस्थितिक रूप से उत्पादक क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि और कमी (बड़ी संख्या में जन्म और मृत्यु) होती है, जोकि उनके लैंड टेन्योर डायनेमिक्स (पारस्परिक संघर्ष, शिशु मृत्यु, नए क्षेत्रों में आवागमन आदि) और उनकी संख्या को बनाए रखने के लिए पर्यावास की जैविक वहन क्षमता से संबंधित कई आंतरिक और प्राकृतिक कारणों से होती है।

(ङ.): भूमि स्वामित्व गतिशीलता (आंतरिक संघर्ष, नए क्षेत्रों में शिशु हत्या आदि) और जनसंख्या व्यवहार्यता के लिए निवास स्थान की जैविक वहन क्षमता से संबंधित प्राकृतिक कारण।

(ड.) और (च): भारत सरकार ने राजस्थान राज्य को मेटापोपुलेशन की पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए संरक्षण के लिए भू-परिदृश्य दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी थी, जिसके आधार पर राजस्थान राज्य द्वारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पश्चिम और पूर्व में क्रमशः रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया गया। इसके अलावा, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) के साथ समन्वय में कार्रवाई शुरू की गई है ताकि वन्यजीव अपराध या अप्राकृतिक मौतों के अन्य कारणों की संभावना का पता लगाया जा सके।

‘रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की मृत्यु’ के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 978 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलें

1. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वर्ष 2006 में संशोधन करके धारा 38 IV ख के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा धारा 38 IV ग के तहत बाघ एवं अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए सक्षम प्रावधान किए गए हैं।
2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ओ 1 (ग) के तहत 15 अक्टूबर, 2012 को बाघ परियोजना और बाघ रिजर्व में पर्यटन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन गतिविधियों और बाघ परियोजना के लिए नियामक मानक) दिशा-निर्देश, 2012 नामक व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
3. संचार और वायरलेस सुविधाओं को मजबूत करने के अलावा, स्थानीय लोगों से युक्त कार्यबल के अतिरिक्त, पूर्व सैन्य कर्मियों या होमगार्डों को शामिल करते हुए शिकार विरोधी दस्तों की तैनाती के लिए बाघ रिजर्व वाले राज्यों को उनके द्वारा यथा प्रस्तावित वित्तीय सहायता प्रदान करके मानसून गश्त के लिए विशेष कार्यनीति सहित अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों को सुदृढ़ किया गया है।
4. वर्ष 2014 से (25.11.2024 तक), निम्नलिखित बाघ रिजर्व अधिसूचित किए गए हैं:

1	सत्यमंगलम (तमिलनाडु)
2	मुकुंदरा हिल्स (राजस्थान)
3	नवेगांव-नागजीरा (महाराष्ट्र)
4	अमराबाद (तेलंगाना)
5	पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)
6	बोर (महाराष्ट्र)
7	राजाजी (उत्तराखंड)
8	ओरंग (असम)
9	कमलांग (अरुणाचल प्रदेश)
10	श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई (तमिलनाडु)
11	रामगढ़ विषधारी (राजस्थान)
12	रानीपुर (उत्तर प्रदेश)
13	वीरांगना दुर्गावती (मध्य प्रदेश)
14	धौलपुर-करोली (राजस्थान)
15	गुरु घासीदास-तमोर पिंगला (छत्तीसगढ़)

5. सुनबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, एमएम हिल्स वन्यजीव अभयारण्य, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मंजूरी दे दी गई है।
6. एनटीसीए ने उत्तर प्रदेश राज्य को सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व घोषित करने की सलाह दी है।
7. बाघ (सह-परभक्षियों, शिकार किए जाने वाले जानवरों और आवास की स्थिति के आकलन सहित) की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित की गई है और उसे मुख्यधारा में लाया गया है। इस अनुमान के निष्कर्ष और आकलन भविष्य की बाघ संरक्षण कार्यनीति के लिए बेंचमार्क हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस पद्धति का उपयोग करके अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5 चक्र पूरे किए हैं।
8. अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5वें चक्र के अनुसार, देश में बाघों की अनुमानित संख्या 3682 है, जिसका दायरा 3167-3925 है, जो वैश्विक बाघ आबादी का 70% है।
9. 18 बाघ बहुल राज्यों ने 2006 में संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अंतर्गत देश के सभी 56 बाघ अभयारण्यों के कोर क्रिटिकल बाघ पर्यावास (45562.24 वर्ग किमी) और बफर/परिधीय क्षेत्र (38051.97 वर्ग किमी) को अधिसूचित किया है।
10. राज्य सरकारों को जंगली जानवरों को प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने हेतु, "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" की व्यापक योजना के बाघ परियोजना घटक जैसी विभिन्न केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
11. भारत ने चीन के साथ बाघ संरक्षण संबंधी प्रोटोकॉल के अलावा, वन्यजीवों के सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने तथा उन्हें संरक्षित करने के लिए नेपाल के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है।
12. सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बांग्लादेश के साथ सितंबर, 2011 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन भू-परिदृश्य में दिनांक 14 फरवरी 2023 को कोलकाता में बाघों के सीमापार संरक्षण के विषय में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी।
13. रूसी संघ के साथ सहयोग के लिए बाघ और तेंदुआ संरक्षण पर एक उप-समूह का गठन किया गया है। बाघों पर वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्थान और ए.एन. सेवरस्टोव पारिस्थितिकी एवं मूल्यांकन संस्थान के बीच दिनांक 4.12.2018 को एक त्रिपक्षीय समझौता जापान पर हस्ताक्षर किए गए।

14. भारत बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के लिए बाघ क्षेत्र वाले देशों के ग्लोबल टाइगर फोरम (एक अंतर-सरकारी संगठन) का संस्थापक सदस्य है।

15. इमारती लकड़ी की तस्करी से निपटने और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए म्यांमार के साथ एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए गए:- इमारती लकड़ी की तस्करी से निपटने और बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए दिनांक 27 फरवरी, 2020 को भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार के बीच एक समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

16. तीसरा एशिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (3 एएमसी) 12-14 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बयान कि "बाघों का संरक्षण एक विकल्प नहीं है, यह एक अनिवार्यता है", से प्रेरित होकर 2022 तक जंगलों और बाघों के पर्यावासों में उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं।

17. आरंभ में चयनित 13 बाघ रिजर्वों में से वर्तमान में चल रही बाघ परियोजना स्कीम के तहत कर्नाटक (बांदीपुर), महाराष्ट्र (पेंच, ताडोबा-अंधारी, नवेगांव नागजीरा, मेलघाट), राजस्थान (रणथंभौर) और ओडिशा (सिमिलीपाल) राज्यों में 60% केंद्रीय सहायता से और काजीरंगा (असम) में 90% केंद्रीय सहायता से विशेष बाघ संरक्षण बल (एसआईपीएफ) को कार्यशील बनाया गया है।

18. बाघ संरक्षण संबंधी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाघ रेंज वाले राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौता जापन (एमओयू) का कार्यान्वयन, जो निधि प्रवाह से जुड़ा हुआ है।

19. प्रभावी फील्ड गश्त और निगरानी के लिए 'बाघों की गहन सुरक्षा और पारिस्थितिकी स्थिति के लिए निगरानी प्रणाली' (M-STrIPES) शुरू करने के अलावा बुनियादी ढांचे और फील्ड सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। M-STrIPES एप्लीकेशन को तीन अलग-अलग मॉड्यूलों अर्थात् गश्त, पारिस्थितिकी और संघर्ष के साथ एंड्रॉयड आधारित बनाया गया है।

20. सरिस्का और पन्ना बाघ रिजर्व, जहाँ बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए थे, के पुनर्निर्माण के लिए सक्रिय प्रबंधन के एक हिस्से के रूप में वहां बाघों को फिर से लाया गया है। पन्ना में जंगली बाघों को सफलतापूर्वक पुनः लाना दुनिया में अपनी तरह का एक अनूठा उदाहरण है क्योंकि जंगली और पुनर्वासित बाघों ने प्रजनन कर रही हैं। इसके अलावा, इस पहल के तहत, राजाजी बाघ रिजर्व (उत्तराखंड), माधव राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश), मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व और रामगढ़ विषधारी बाघ रिजर्व (राजस्थान) के पश्चिमी भाग में बाघों को फिर से लाया गया है।

21. अधिक ऊंचाई वाले भू-परिदृश्यों में बाघों की उपस्थिति का आकलन करने के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ एक सहयोगात्मक परियोजना क्रियान्वित की गई।

22. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव-बाघ संघर्ष को कम करने के लिए विशेष सहायता प्रदान की गई।
23. अधिकारियों और विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के आधार पर नीचे दिए गए 9 विषयगत क्षेत्रों में मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई हैं, जिन्हें क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है:-
- i. बाघ की मौत से निपटने के लिए।
 - ii. मानव बहुल भू-क्षेत्र में बाघों के भटकने के कारण उत्पन्न आपात स्थिति से निपटना।
 - iii. बाघ/तेंदुए के शव/शरीर के निपटान के लिए।
 - iv. जंगल में अनाथ/परित्यक्त बाघ शावकों और बूढ़े/घायल बाघों की देखभाल करने के लिए।
 - v. पशुधन पर बाघों के हमले से निपटने के लिए।
 - vi. सीमा साझा करने वाले बाघ अभयारण्यों के बीच अंतरराज्यीय समन्वय के लिए।
 - vii. भू-परिदृश्य स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास हेतु सक्रिय प्रबंधन के लिए।
 - viii. बाघ रिजर्वों में आवारा/हिंसक कुत्तों से निपटने के लिए।
 - ix जंगल में बाघों को पुनः लाने और उनकी संख्या में इजाफा करने के लिए।
24. चरण-IV बाघ रिजर्व स्तर पर कैमरा ट्रैप का उपयोग करके बाघों की निरंतर निगरानी और प्रत्येक बाघ के फोटो कैप्चर संबंधी डेटा तैयार करने को संस्थागत रूप दिया गया है।
25. प्रत्येक बाघ की कैमरा ट्रैप फोटो पहचान-पत्र का एक राष्ट्रीय संग्रह बनाया गया है।
26. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के सहयोग से सोलह बाघ रिजर्वों का आर्थिक मूल्यांकन किया गया, ताकि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी सेवाओं के मूल्य तथा जलवायु परिवर्तन उपशमन में उनकी संभावित भूमिका का आकलन किया जा सके।
27. बाघ संरक्षण फाउंडेशन और स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए टीईआरआई के सहयोग से कार्बन पृथक्करण के मुद्रीकरण पर एक पायलट परियोजना शुरू की गई।
28. भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से शिवालिक गंगा मैदान भू-परिदृश्य के बाघ रिजर्वों में और उसके आसपास वन आवरण की स्थिति, घनत्व और परिवर्तन का आकलन किया गया।
29. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर, एनटीसीए के सुरक्षा संवीक्षा ढांचे को सभी बाघ रिजर्वों में लागू करने हेतु मान्य किया गया है। इस ढांचे के माध्यम से 25 बाघ रिजर्वों की सुरक्षा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन किया गया है।
30. अधिक सुरक्षित क्षेत्रों के निर्माण तथा स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए पैकेज को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।

31. बाघ अभयारण्यों के बाहर बाघ वाले क्षेत्रों की स्थिति का आकलन करने के लिए सीए/टीएस (संरक्षण सुनिश्चित/बाघ मानक) कार्यवाचा-एक अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन तैयार किया गया है। सीए/टीएस प्रमाणन से मान्यता प्राप्त 3 स्थल भारत में हैं, नामतः उत्तराखंड में रामनगर, लैंसडाउन, वन मंडल और पश्चिम बंगाल में 24 दक्षिण परगना। सीए/टीएस को अब बाघ अभयारण्यों तक विस्तारित कर दिया गया है और 23 स्थल नामतः मानस, काजीरंगा, ओरंग, सतपुड़ा, पेंच (महाराष्ट्र), कान्हा, पन्ना, वाल्मीकि, दुधवा, परम्बिकुलम, मुदुमलाई, बांदीपुर, अन्नामलाई, सुंदरबन, बांधवगढ़, पेंच (मध्य प्रदेश), सत्यमंगलम, नवेगांव-नागजीरा, ताड़ोबा, मेलघाट, पेरियार, काली और पीलीभीत बाघ अभयारण्यों को सीए/टीएस से मान्यता प्रदान की गई है।

32. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में की गई परिकल्पना के अनुसार बाघ संरक्षण प्राधिकरण कोष का संचालन किया गया है।

33. चीते को सफलतापूर्वक पुनः लाना :- चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जो विगत लंबे समय से भारत से विलुप्त हो गया है। चीते को वापस लाने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के हिस्से के रूप में, नामीबिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के साथ द्विपक्षीय परामर्श बैठकें और वार्ताएं आयोजित की गईं। द्विपक्षीय वार्ता का समापन क्रमशः 20 जुलाई 2022 और 17 जनवरी 2023 को नामीबिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के साथ हुआ। ये समझौता ज्ञापन जैव विविधता संरक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें चीतों के संरक्षण और उनके पूर्व सीमा क्षेत्रों, जहाँ से वे विलुप्त हो गए थे, में उन्हें पुनः लाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

नामीबिया गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद, 8 चीतों के पहले बैच को नामीबिया से कुनो नेशनल पार्क में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है और 17 सितंबर 2022 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा चीतों को संगरोध बाड़े में छोड़ दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के तहत, 18 फरवरी 2023 को 12 चीतों (7 नर, 5 मादा) को दक्षिण अफ्रीका से कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, भारत में स्थानांतरित किया गया।

वन अधिकारियों, चीता विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की एक समर्पित टीम 24x7 आधार पर चीतों की सुरक्षा के साथ-साथ निगरानी भी कर रही है। भारत में चीते को लाए जाने के बाद, भारतीय धरती पर 17 चीता शावकों का जन्म हुआ।

केन्या और बोत्सवाना की सरकारों के साथ भी बातचीत करने के प्रयास शुरू किए गए हैं।

34. कंबोडिया के साथ द्विपक्षीय समझौता - भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कंबोडिया में बाघों को फिर से लाने की पहल के लिए क्षेत्र की स्थिति और क्षमता संवर्धन संबंधी अपेक्षाओं का आकलन करने के लिए कंबोडिया का दौरा किया। इसके बाद, "जैव विविधता संरक्षण और बाघ तथा उसके पर्यावास की सतत

वन्यजीव प्रबंधन पुनर्प्राप्ति रणनीति में सहयोग" के संबंध में कंबोडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

35. बाघ रिजर्व के लिए वनाग्नि संवीक्षा प्रोटोकॉल - बाघ रिजर्व में वनाग्नि से निपटने की तैयारियों का आकलन और प्रबंधन करने तथा जंगल की आग के पूरे काल चक्र को नियंत्रित करने के लिए एनटीसीए ने बाघ रिजर्वों के लिए वनाग्नि संवीक्षा प्रोटोकॉल जारी किया है। इस प्रोटोकॉल से बाघ रिजर्वों को जंगल की आग से निपटने के लिए अपनी तैयारियों का आकलन करने में सुविधा होगी।

36. कैमरा ट्रैप डेटा प्रबंधन के क्षेत्र में रूस के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता : कैमरा ट्रैप आधारित निगरानी के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी साझा करने के लिए लैंड ऑफ द लेपर्ड नेशनल पार्क (एलएलएनपी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के तहत, एनटीसीए और डब्ल्यूआईआई एलएलएनपी को सीएटीआरएटी (कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी और विश्लेषण उपकरण) का उपयोग करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। यह उपकरण एनटीसीए, डब्ल्यूआईआई और आईआईआईटी के संयुक्त सहयोगी प्रयासों के माध्यम से विकसित किया गया था।

37. भारत ने ग्वाटेमाला के साथ "बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस) और जगुआर (पैंथेरा ओनका) के संरक्षण" पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें जगुआर के संरक्षण के लिए भारत की विशेषज्ञता का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है।

38. नई दिल्ली में आयोजित बाघ क्षेत्र वाले देशों (टीआरसी) का पूर्व-शिखर सम्मेलन-एनटीसीए द्वारा 10-12 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में बाघ क्षेत्र वाले देशों का पूर्व-शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाघ फोरम में अपनाए जाने वाले मसौदा घोषणापत्र को अंतिम रूप देना था।

39. बाघ रिजर्वों का जल स्रोत एटलस : पहली बार एनटीसीए ने रिपोर्ट तैयार की है, जिसे बाघ रिजर्वों में जल स्रोतों को दर्शाने वाले स्थानिक मानचित्र उपलब्ध कराने के लिए एटलस प्रारूप में डिज़ाइन किया गया है। जीआईएस प्लेटफॉर्म में विश्लेषण किए गए उपलब्ध सुदूर संवेदी डेटा पर आधारित यह जल स्रोत एटलस, बाघ रिजर्वों में मौजूदा जल निकायों के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है।

40. बाघ रिजर्वों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार : उत्तर प्रदेश में पीलीभीत बाघ रिजर्व और तमिलनाडु में सत्यमंगलम बाघ रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन जीईएफ, यूएनडीपी, आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और जीटीएफ के एक संघ द्वारा शुरू किए गए आरंभिक टीx2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तीन और बाघ रिजर्वों अर्थात् पेंच बाघ रिजर्व (मध्य प्रदेश) और पेंच बाघ रिजर्व (महाराष्ट्र) को संयुक्त रूप से और सतपुड़ा बाघ अभयारण्य (मध्य प्रदेश) को वर्ष 2022-2023 के लिए टीx2 से पुरस्कृत किया गया है।

41. बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए:- बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में किया। इस कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया।

42. बाघ रिजर्वों की प्रबंधन प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, एनटीसीए 4 वर्षों के अंतराल पर "प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन" (एमईई) कर रहा है। वर्ष 2022 में 51 बाघ रिजर्वों के लिए एमईई का 5वां चक्र चलाया गया और सार रिपोर्ट 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जारी की गई। 51 बाघ रिजर्वों में से 12 बाघ रिजर्वों को 'उत्कृष्ट श्रेणी', 21 बाघ रिजर्वों को 'बहुत अच्छा' श्रेणी, 13 बाघ रिजर्वों को 'अच्छा' श्रेणी और 5 बाघ रिजर्वों को 'ठीक' श्रेणी में रखा गया है।

43. अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस को 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का फोकस दुनिया के सात प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। इसकी स्थापना दिनांक 29 फरवरी, 2024 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद दिनांक 12.3.2024 को की गई।

44. अखिल भारतीय बाघ आकलन का चौथा चक्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज: भारत की विज्ञान आधारित बाघ निगरानी पद्धति जिसे "अखिल भारतीय बाघ आकलन" के नाम से जाना जाता है, ने दुनिया में सबसे बड़े कैमरा ट्रैप आधारित वन्य पशु निगरानी कार्य के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है।
